रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128

REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 11, 1989/ फाल्गुन 20, 1910

No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 11, 1989/PHALGUNA 20, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Seperate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a seperate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1989

सा. का. नि. 143.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अकादमी, उमसा, बारापानी के कार्यालय में समूह "ग" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी बारापानी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 15 में विनिर्दिष्ट हैं।

465 GI/89—1

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1989

सा. का. नि. 162—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आकाशवाणी महानिदेशालय में ज्येष्ठ निजी सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (ज्येष्ठ निजी सहायक) भर्ती नियम, 1989 है। (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :— उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि — उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती कि जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ निजी सहायक	18* (1989) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	2000-60-2300 द.रो."75-3200 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	आशुलिपिक श्रेणी 1 की प्रोन्नति के लिए कोई परिवीक्षा नहीं, आशुलिपिक श्रेणी 2 से प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष

भर्ती की पद्धति / भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रोन्नति :
टिप्पण 2000–3200 रु. वेतनमान में उन्नयन पद के पूर्व क्रमशः 1640–2900 रु. और 1400–2300 रु. के वेतनमान में आशुलिपिक श्रेणी 1 और आशुलिपिक श्रेणी 2 के पदों के ऐसे नियमित धारकों की जिनके पास स्तंभ 12 के अधीन विहित पात्रता सेवा है, उन्नयित पद पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक निर्धारण विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा। यदि उन्हें उपयुक्त निर्धारित किया गया तो उन्हें प्रारंभिक गठन के समय उन्नयित पदों पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा। यदि ऐसे अधिकारियों को उन्नयित वेतनमान में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त निर्धारित किया जाता है तो वे 1640–2900 रु. या 1400–2300 रु. वेतनमान में बने रहेंगे और प्रत्येक वर्ष उनके मामलों पर पुनर्विलोकन किया जाएगा।	(i) आकाशवाणी के ऐसे आशुलिपिक श्रेणी 1 (1640–2900 रु.) जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्ष नियमित सेवा की है। (ii) ऊपर (i) के न हो सकने पर आकाशवाणी के ऐसे आशुलिपिक श्रेणी । जिन्होंने आशुलिपिक श्रेणी (1640–2900 रु.) और आशुलिपिक श्रेणी 2 (1400–2300 रु.) के रूप में कुल मिलाकर 7 वर्ष नियमित सेवा की है। (iii) ऊपर (i) और (ii) के न हो सकने पर आकाशवाणी का ऐसा आशुलिपिक श्रेणी 2 (1400–2300 रु.) जिसने उस श्रेणी में 7 वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार के ऐसे आशुलिपिक — (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हैं, या (ii) जिन्होंने 1640–2900 रु. या समतुल्य वेतनमान में 2 वर्ष नियमित सेवा की है। (iii) जिन्होंने 1400–2300 रु. या समतुल्य वेतनमान में 7 वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:— 1. उप महानिदेशक (प्रशासन) — अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक, समाचार प्रभाग सेवा —सदस्य 3. उपनिदेशक (प्रशासन)—सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[सं. 2/7/88-एस –6/आकाशवाणी/बी (ए)]
कश्मीरी लाल, अवर सचिव

टिप्पण —पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग को अनुमोदनार्थ भेजी जाएगी। किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 9th February, 1989

G.S.R. 162.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Personal Assistant in the Directorate General, All India Radio under the Ministry of Information and Broadcasting, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the All India Radio (Senior Personal Assistant Recruitment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into of contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to the person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of post.	Classification	Scale of Pay.	Whether Selection post or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Senior Personal Assistant	18* (1989) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200	Non-selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and other educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	No probation for promotion Stenographer Grade I. Two years for promotees from Stenographers Grade II.	By promotion failing which by transfer on deputation. Note : The suitability of the regular holders of the posts of Stenographer Grade I and Stenographer Grade II in the scale of Rs. 1640-2900 and Rs. 1400-2300 respectively prior to the upgradation of these posts in the scale of Rs. 2000-3200 possessing the eligibility service prescribed under column 12 will be initially assessed by the Departmental Promotion Committee for appointment to the upgraded post. If assessed suitable, they shall be deemed to have been appointed to the posts at the initial constitution. Such of the officers as are assessed "Not suitable" for appointment to the upgraded scale of pay shall continue to be in the scale of pay of Rs. 1640-2900 or Rs. 1400-2300 as the case may be and their cases would be reviewed every year.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
Promotion : (i) Stenographer Grade I (Rs. 1640-2900) in All India Radio with 2 years regular service in the grade. (ii) Failing (i) above, Stenographer Grade I in All India Radio (Rs. 1640-2900) with 7 years combined regular service as Stenographer Grade I (Rs. 1640-2900) and Stenograher Grade II (Rs. 1400-2300). (iii) Failing (i) and (ii) above, Stenographer Grade II (Rs. 1400-2300) in All India Radio with 7 years fregular service in the Grade.	Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Deputy Director General (Administration)—Chairman. 2. Joint Director, News Services Division——Member. 3. Deputy Director (Administration)——Member. Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to the confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Pro-	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

12	13	14
Transfer on deputation : Stenogrraphers of the Central Government :— (i) Holing analogous posts on regular basis; or (ii) with 2 years regular service in the scale of Rs. 1640-2900 or equivalent; or (iii) with 7 years regular service in the scale of Rs. 1400-2300 or equivalent. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).	motion Committee to be prescribd over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	

[No. 2/7/88-S-VI/AIR/B(A)]

KASHMIRI LAL, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

(एनसीजी अनुभाग)

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1988

सा. का. नि. ———163 संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, कनिष्ठ अभियन्ता (भर्ती) नियम 1980 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

1. (i) इस नियमों को कनिष्ठ अभियन्ता (संशोधन) नियम 1988 कहा जाए।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कनिष्ठ अभियन्ता (भर्ती) नियम, 1980 में प्रस्तावना तथा नियम (1) के उपनियम (i) में "कनिष्ठ अभियन्ता" शब्दों के स्थाना पर "कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए।

3. भर्ती नियम, 1980 के नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रशिक्षण तथा बाद सीधी भर्ती के 650 कोटे के अंतर्गत भर्ती किए गए सभी उम्मीद्वार निर्धारित फार्मेट में बान्ड भरकर देंगे जिसमें कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी के बतौर अपनी नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए विभाग की सेवा करने की अपनी इच्छा व्यक्त की गई हो। अनुसूची की मद 1 (सीधी भर्ती) और कालम 10 की मद II,III और IV (विभागीय उम्मीदवार) में निर्दिष्ट कोटा के अंतर्गत भर्ती किए गए उम्मीदवार नियुक्ति से पहले विभाग द्वारा यथा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

4. कनिष्ठ अभियन्ता भर्ती नियम 1980 की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं:

(i) कालम 1 में "कनिष्ठ अभियन्ता" शब्दों के स्थान पर "कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी" शब्दों को प्रतिस्थापित किए जाए।

(ii) कालम 4 में रुपए 425-15-500-द. रो. 15-560-20-700" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर "रुपए 1640-60-2600-द.रो. - 75- 2900" शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएं।

(iii) कालम 7 में सूचना को छोड़ दिया जाए।

(iv) कालम 2 में "31-12-1979 को 20,014" शब्द तथा अंकों के स्थान पर "1-8-1988 को 23,221 वास्तविक कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय" शब्द तथा अंक लिखा जाए।

(v) अनुसूची के कालम 6 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए (सीधी भर्ती के लिए आयु):—

"19 वर्ष से कम तथा 27 वर्ष से अधिक नहीं"

"केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है)।

नोट:—प्रत्येक मामले में आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से (संघ शासित प्रदेशों अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों को छोड़कर) आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी। यदि भर्ती रोजगार कार्यालय द्वारा की जानी हो तो आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह